संख्या-285/2023/3592/22-2-2022-17(1409)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2023

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल पुत्र श्री ननकऊ, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल पुत्र श्री ननकऊ, जो ग्राम-अहलाद नगर, थाना-खरगूपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। दिनांक 08.05.2007 को जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ पिन्टू उर्फ राकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी तथा महेश गिरि नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-349/08/07 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोण्डा के आदेश दिनांक 27.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 10 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोण्डा द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 08.05.2007 को जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ पिन्टू उर्फ राकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने व महेश गिरि नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल पुत्र श्री ननकऊ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल (बन्दी संख्या-944/10) पुत्र श्री ननकऊ, निवासी जनपद-गोण्डा को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-285/2023/3592(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-285/2023/3592/22-2-2022-17(1409)/2022

दिनांक 31 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल पुत्र श्री ननकऊ, जो ग्राम-अहलाद नगर, थाना-खरगूपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। दिनांक 08.05.2007 को जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ पिन्टू उर्फ राकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी तथा महेश गिरि नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-349/08/07 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोण्डा के आदेश दिनांक 27.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 10 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोण्डा द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 08.05.2007 को जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ पिन्टू उर्फ राकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने व महेश गिरि नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम गोपाल पुत्र श्री ननकऊ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।